न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,टोंक

पीठासीन अधिकारी– रामरतन सौंकरिया

आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
31 / 2016 प्रा.पत्र / 2016	16.03.2016	04.09.2025

डॉ. मदन लाल गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक राज0

............प्रार्थी

बनाम

1–श्री बृजमोहन गोयल पुत्र श्री जमना लाल गोयल विक्रेता मैसर्स गोयल प्रोविजनल स्टोर बस स्टैण्ड सोहेला तह.पीपलू जिला टोंक निवासी वार्ड नं. 7, शिवालय रोड पीपलू जिला टोंक राज.।

2–मैसर्स गोयल प्रोविजनल स्टोर बस स्टैण्ड सोहेला तह.पीपलू जिला टोंक

3–श्री विनोद कुमार जैन प्रोपरायटर मैसर्स बंशीधर विनोद कुमार जैन मोटूका वाले, सिन्धी कॉलोनी झिलाई रोड निवाई जिला टोंक निवासी एसबीआई बैंक के सामने, झिलाई रोड, निवाई जिला टोंक राज.।

4–मैसर्स बंशीधर विनोद कुमार जैन मोटूका वाले, सिन्धी कॉलोनी झिलाई रोड निवाई जिला टोंक राज.।

5–श्री महेन्द्र जैन प्रोपरायटर मैसर्स वर्धमान एन्टरप्राईजेज बी–100, राजधानी कृषि उपज मण्डी कूकर खेडा, सीकर रोड जयपुर राज.।

6–मैसर्स वर्धमान एन्टरप्राईजेज बी–100, राजधानी कृषि उपज मण्डी कूकर खेडा, सीकर रोड जयपुर राज.।

7–श्री ओमप्रकाश शर्मा सोल प्रोपरायटर शर्मा ट्रेडिंग कम्पनी सदर बाजार नोखा जिला बीकानेर राज. निवासी शिव मन्दिर के पास नोखा जिला बीकानेर राज.।

8–मैसर्स शर्मा ट्रेडिंग कम्पनी सदर बाजार नोखा जिला बीकानेर राज.

9–श्री ओमप्रकाश शर्मा डायरेक्टर मैसर्स श्री नाथ कृपा फूड प्रोडक्ट प्रा. लिमिटेड एफ–41 रीको इण्डस्ट्रीयल एरिया नोखा जिला बीकानेर राज.।

10–मैसर्स श्री नाथ कृपा फूड प्रोडक्ट प्रा. लिमिटेड एफ–41 रीको इण्डस्ट्रीयल एरिया नोखा जिला बीकानेर राज.।

.........अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii)

उपस्थित–

1–पेरोकार सरकार।

2–अभिभाषक अप्रार्थीगण श्री दिनेश कुमार शर्मा उप0।

दिनांक 04/9/25

:–निर्णय–:

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 16.05.2015 को समय 05:25 पी.एम. पर मैसर्स गोयल प्रोविजनल स्टोर बस स्टैण्ड सोहेला तह.पीपलू जिला टोंक पर पहुंचा। वहां पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता की हैसियत से श्री बृजमोहन गोयल पुत्र श्री जमना लाल गोयल खादय पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला, श्री बृजमोहन गोयल पुत्र श्री जमना लाल गोयल को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री बृजमोहन गोयल पुत्र श्री जमना लाल गोयल ने स्वयं को प्रतिष्ठान का विक्रेता होना बताया तथा मौके पर खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र मांगने पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र दिखाया।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय करने हेतु दुकान में तेल, घी, मसाले व अन्य खाद्य पदार्थ के साथ–साथ **घी श्री सरस मूल पैक (Ghee Shree Saras original pack)** 452–452 ग्राम के 18 मूल पैक रखे हुए थे, जिसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने एवं मिलावट की शंका होने पर श्री बृजमोहन गोयल पुत्र श्री जमना लाल गोयल को फार्म नं. 5 ए में वास्ते नमूना क्रय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रशीद प्राप्त की एवं दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर एफ.बी.ओ. को सूचित कर प्रतियों में विक्रेता श्री बृजमोहन गोयल पुत्र श्री जमना लाल गोयल व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व आवेदक ने स्वयं हस्ताक्षर मय सील मोहर किये व हस्ताक्षर कर तस्दीक किया। एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को बताकर कि यह **घी श्री सरस मूल पैक (Ghee Shree Saras original pack)** वास्ते नमूना जांच क्रय किया जा रहा है, 452–452 ग्राम के 4 मूल पैक खरीदे जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **घी श्री सरस मूल पैक (Ghee Shree Saras original pack)** 452–452 ग्राम के 4 मूल पैक को अलग–अलग चार साफ व सूखे प्लास्टिक के डिब्बों में भरकर ढक्कन को एयरटाईट बन्द कर नियमानुसार चार भाग तैयार किये, नियमानुसार लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग गोंद से अच्छी तरह चिपकाया। प्रत्येक लेबलों पर डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई–988 दर्ज कर, आवेदक ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर कराकर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया। चारों नमूना भागों को अलग–अलग 2 खाकी कागज में लपेटकर गोंद से अच्छी तरह चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई–988 नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये।चारों नमूना भागों को नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रतियॉ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपडी कर खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला अजमेर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

विक्रेता श्री बृजमोहन गोयल पुत्र श्री जमना लाल गोयल विक्रेता मैसर्स गोयल प्रोविजनल स्टोर बस स्टैण्ड सोहेला तह.पीपलू जिला टोंक ने मौके पर बतौर मैसर्स बंशीधर विनोद कुमार जैन मोटूका वाले, सिन्धी कॉलोनी झिलाई रोड निवाई जिला टोंक का खरीद बिल प्रस्तुत किया। मैसर्स बंशीधर विनोद कुमार ने मैसर्स वर्धमान एन्टरप्राईजेज बी–100, राजधानी कृषि उपज मण्डी कूकर खेडा, सीकर रोड जयपुर का एवं मैसर्स वर्धमान एन्टरप्राईजेज ने मैसर्स शर्मा ट्रेडिंग कम्पनी सदर बाजार नोखा जिला बीकानेर राज. का बिल पेश किया। आवेदक द्वारा मैसर्स शर्मा ट्रेडिंग से सम्पर्क करने पर उक्त फर्म के व्यवहारी ने बतौर वारन्टी मैसर्स श्री नाथ कृपा फूड प्रोडक्ट प्रा. लिमिटेड एफ–41 रीको इण्डस्ट्रीयल एरिया नोखा जिला बीकानेर राज. का बिल प्रस्तुत कर उपरोक्त खाद्य पदार्थ क्रय करना अवगत कराया।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए. / 15 / 2123 दिनांक 03.07.15 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक अजमेर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं.एल0एस0 / 333 / एफ.एस.एस.ए. / 2015 / 350 दिनांक 25.06.15 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु क्रय किया गया **घी श्री सरस मूल पैक (Ghee Shree Saras original pack) अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया। अतः आवेदक ने विक्रेताओं के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से अभिभाषक श्री दिनेश कुमार शर्मा उपस्थित हुए एवं बहस की तथा बहस में निवेदन किया कि उक्त खाद्य पदार्थ में किसी तरह की मिलावट / दोष नहीं है। इसके लेबल पर भी सभी आवश्यक जानकारी सही प्रारूप में अंकित है। यह मानव उपयोग के लिए किसी तरह हानिकारक नहीं है। उक्त खाद्य पदार्थ केवल कुछ मानकों को पूरा नहीं करता है। अतः प्रकरण का न्यूनतम शास्ति के साथ निस्तारण किया जावें।

पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जिस **घी श्री सरस मूल पैक (Ghee Shree Saras original pack)** का विक्रय कर रहे थे वह जांच में **अवमानक(Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 51 में जुर्माने की श्रेणी में आता है, इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावें।

हमने अभिभाषक अप्रार्थीगण एवं पेरोकार सरकार की बहस सुनी एवं बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **घी श्री सरस मूल पैक (Ghee Shree Saras original pack)** का नमूना जांच में **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम व विनियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 51 के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। चुंकि अप्रार्थी सं. 1 ता 8 ने वारन्टी बिल के आधार पर उक्त खाद्य पदार्थ क्रय किया है, अतः अप्रार्थी सं. 1 ता 8 को दोषमुक्त किया जाता है तथा अप्रार्थी सं. 9 व 10 के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी सं. 9 व 10 पर कुल शास्ति रूपये 10,000 / – (अक्षरे दस हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक से एक माह के अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। एक माह के अन्दर शास्ति जमा नहीं करवाने पर शास्ति वसूली की कार्यवाही हेतु निर्णय प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक को भिजवायी जावें। प्रकरण में लिये गये नमूने को अपील की अवधि व्यतीत होने के पश्चात नियमानुसार नष्ट कर दिया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 04/9/25 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(रामरतन सौंकरिया)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0